न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2023(GCMS 2023/63)

(आरटीआई संख्या 212561541115020)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह, वीपीओ 5 केएसडी, पीओ सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94619–41186)

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2023 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2023 को कार्यालय श्रीगंगानगर जिला कलक्टर महोदय को रजिस्ट्री डाक क्रमांक आरआर 2568511468 आईएन दिनांक 21.09.2023 का प्रेषित किया गया था इस शिकायत की डाक शाखा पंजिका रजिस्टर में दर्ज पेज की फोटा कॉपी चाही है।
2. परिवाद दिनांक 21.09.2023 की पत्रावली की फोटो कॉपी चाही है।
3. परिवाद दिनांक 21.09.2023 की सुनवाई व ब्यान लेने हेतु दिये गये नोटिस की फोटोकॉपी चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4. शिकायतकर्त्ता (मुकन्द सिंह) के बयानों की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही गई है।
5. शिकायत का निर्णय व निस्तारण व जांचकर्त्ता लोक सेवक का पदनाम व कार्यालय मय सील सहित एवं निस्तारण करने की समय अवधि बताते हुये की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
6. दिनांक 21 सितम्बर 2023 के परिवाद की जांच रिपोर्ट की फोटो कॉपी प्रमाणित चाही है।
7. दिनांक 21.09.2023 परिवाद संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेज की फोटोकॉपी चाही है।
8. आपके कार्यालय दिनांक 23.10.2023 के साथ पोस्टल ऑर्डर क्रमांक 61एफ 889519, 10रू. का आरटीआई आवेदन में प्रेषित है, इस पोस्टल ऑर्डर को राजकोष में दर्ज एवं कैश बुक में दर्ज पेज व रसीद की फोटो कॉपी चाही है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)(3)न्याय(आरटीआई)/2025/1003 दिनांक 21.03.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित कर, प्रति इस कार्यालय को भिजवाई गई है:

क्र. सं.	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदन द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1	प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2023 को कार्यालय श्रीगंगानगर जिला कलक्टर महोदय को रजिस्ट्री डाक क्रमांक आरआर 2568511468 आईएन दिनांक 21.09.2023 को प्रेषित किया गया इस शिकायत को डाक शाखा रजिस्टर में दर्ज पेज की फोटो कॉपी चाही है।	डाक शाखा पंजिका रजिस्टर सामान्य शाखा (रिसिप्ट सेक्शन), कलक्ट्रेट से संबधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2	परिवाद दिनांक 21.09.2023 की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।	परिवाद दिनांक 21.09.2023 (आरटीआई कानून की अवमानना करने एवं मिथ्या तथ्यहीन, असद्भावना का कृत्य करने पर धारा 166
3	परिवाद दिनांक 21.09.2023 की सुनवाई व ब्यान लेने हेतु दिये गये नोटिस की फोटोकॉपी चाही है।	बिन्दु संख्या 02 के अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा बयानों व सुनवाई के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, अतः इस कार्यालय में संधारित नहीं है।
4	शिकायतकर्त्ता (मुकन्द सिंह) के बयानों की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही गई है।	बिन्दु संख्या 02 के अनुसार शिकायतकर्त्ता का कोई बयान इस कार्यालय के माध्यम से नहीं लिया गया है, इस कार्यालय में संधारित नहीं है।
5	शिकायत का निर्णय व निस्तारण व जांचकर्त्ता लोक सेवक का पदनाम व कार्यालय मय सील सहित एवं निस्तारण करने की समय अवधि बताते हुये की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 02 के अनुसार
6	दिनांक 21 सितम्बर 2023 के परिवाद की जांच रिपोर्ट की फोटो कॉपी प्रमाणित चाही है।	बिन्दु संख्या 02 के अनुसार
7	दिनांक 21.09.2023 परिवाद संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेज की फोटोकॉपी चाही है।	बिन्दु संख्या 02 के अनुसार
8	आपके कार्यालय दिनांक 23.10.2023 के साथ पोस्टल ऑर्डर क्रमांक 61एफ 889519, 10रू. का आरटीआई आवेदन में प्रेषित है, इस पोस्टल ऑर्डर [illegible] राजकोष में दर्ज [illegible] पेज व रसीद की फोटो कॉपी चाही [illegible]	आरटीआई के पोस्टल ऑर्डर के रिकॉर्ड संबधित पत्रावली इस अनुभाग में संधारित नहीं [illegible] बल्कि सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ / लेखा शाखा कलक्ट्रेट, से संबंधित हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि बिन्दु 01 व 08 की सूचना हेतु अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र क्रमशः सामान्य शाखा (रिसिप्ट सेक्शन) एवं सूचना का अधिकारी प्रकोष्ठ/लेखा प्रकोष्ट, कलक्ट्रेट, को उक्त सूचना अपीलार्थी को भिजवाने हेतु प्रेषित करें। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर